

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ० सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं**  
**संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।**

क्रमांक:—एफ. 2/स्था(राजपत्रित)/आमवि/जो०/2021/

दिनांक: 26.08.2021

**:: कार्यालय आदेशः**

चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्टता में सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर चयनित किया जाता है।

क्र.स.	नाम	विशिष्टता	जन्म तिथि
1.	<b>Dr. Shubham Agarwal S/o Shri Om Prakash Agarwal</b>	<b>Orthopaedics</b>	<b>25.09.1993</b>
2.	<b>Dr. Aditya Shrimal S/o Shri Ravi Raj Shrimal</b>	<b>Orthopaedics</b>	<b>03.05.1991</b>
3.	<b>Dr. Avinash Kumar Choudhary S/o Shri Umesh Kumar Choudhary</b>	<b>Orthopaedics</b>	<b>04.07.1991</b>
4.	<b>Dr. Manoj Kumar S/o Shri Bajrang Lal</b>	<b>Orthopaedics</b>	<b>15.06.1992</b>
5.	<b>Dr. Jayesh Chouhan S/o Shri Shrawan Kumar Chouhan</b>	<b>Orthopaedics</b>	<b>19.11.1993</b>
6.	<b>Dr. Rajendra Singh Fageria S/o Shri Jagan Singh</b>	<b>Orthopaedics</b>	<b>03.07.1984</b>
7.	<b>Dr. Gautam Chand S/o Shri Amra Ram</b>	<b>Orthopaedics</b>	<b>15.11.1985</b>
8.	<b>Dr. Sandeep Kumar S/o Shri Bhala Ram</b>	<b>Orthopaedics</b>	<b>03.07.1992</b>

1. सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर चयन शुरुआत में छः माह के लिए किया गया है, तत्पश्चात संतोषप्रद सेवा होने पर छः माह की ओर अभिवृद्धि की जा सकती है एवं सीनियर रेजीडेन्ट का कुल कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष का होगा।
2. उपरोक्त सीनियर रेजीडेन्ट को कार्यग्रहण करने की दिनांक से स्टाईफण्ड रु. 70150/- एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
3. ये नियुक्ति उक्त चिकित्सक के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यक्षीन होगी।
4. उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने होंगे। राजकीय सेवारत अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। विगत में कार्यरत रहने की संस्था से त्याग पत्र स्वीकारोक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी।
6. चयनित अभ्यर्थी यदि हडताल अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवाये बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
7. संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ-साथ आपाताकालीन सेवाये भी देनी होगी।
8. इन्हें नियमानुसार इस छः माह की अवधि के दौरान 07 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रूप में करना होगा। इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिए गए अवकाश की अवधि का कोई स्टाईफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
9. इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपनी उपस्थिति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति समय समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्यक्षीन होगी।
10. सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा।
11. महिला अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेन्सी अवधि में प्रसूति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम एक बार प्रसूति अवकाश देय होगा।
12. न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर सीनियर रेजीडेन्ट के पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टाईफण्ड राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

(डॉ० एस. एस. राठौड़)  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक:—एफ. 2/स्था(राजपत्रित)/आमवि/जो०/2021/ 18183-88

दिनांक: 26.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जोधपुर।
2. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अस्थि रोग विभाग, डॉ० एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
3. नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट पर अपलोड के लिए।
4. लेखाशाखा, डॉ० एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
5. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/कॉलेज नोटिस बोर्ड।

(डॉ० एस.एस. राठौड़)  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक